| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

03/5/24

**न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी,राँची।**

**एस०ए०आर० वाद सं०-114/2008-2009**

**लाधु उराँव, ..... आवेदक।**

***बनाम***

**(1) अफसर खाँ उर्फ बबलू,**
**(2) अफसर खाँ उर्फ अफसु, ..... विपक्षीगण।**

## *आदेश*

आवेदक लाधु उराँव, पिता–स्व० शनिचरवा उराँव, निवास ग्राम–तिरिल, कोकर, थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन विपक्षीगण (1) अफसर खाँ उर्फ बबलू, वो (2) अफसर खाँ उर्फ अफसु, दोनों के पिता–स्व० हाजी आबीद खाँ, निवास ग्राम–मिल्लत कॉलोनी, बरियातु, थाना–बरियातु, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

**जमीन का विवरण**

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| बरियातु | 193 | 87 | 801<br>802 | 31 डी०<br>41 डी०<br>कुल रकबा 72 डी० |

आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में जोहना बुधुआ उराँव, एवं गोडो उराँव, के नाम से दर्ज है, तथा आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को

03/5/24

कृ०पृ०उल्टे

बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

आवेदक अपने लिखित ब्यान में कहते हैं कि वर्णित भूमि खतियान में जोहना बुधुआ उराँव, एवं गोडो उराँव, के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत के वंशज आवेदक लाधु उराँव, हैं जो स्वर्गवास कर गये। खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी (1) प्रकाश उराँव, पिता–लाथू उराँव, (2) गुलशन उराँव, पिता–बिशु उराँव, (3) अमीत केरकेट्टा, पिता–सुकरा केरकेट्टा, (4) अनिल केरकेट्टा, पिता–सुकरा केरकेट्टा, (5) प्रदीप केरकेट्टा, पिता–बिशु उराँव, (6) अजय केरकेट्टा, पिता–सुकरा केरकेट्टा, दखलकार हुए। विपक्षीगण (1) अफसर खाँ उर्फ बबलू, पिता–स्व॰ हाजी आबीद खाँ, रकबा–36 डिसमिल, (2) अफसर खाँ उर्फ अफसु, पिता–स्व॰ हाजी आबीद खाँ, रकबा–36 डिसमिल, कुल रकबा–72 डिसमिल, भूमि पर अवैध रूप से दखलकार है।

इस वाद में विपक्षी द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया। वाद की सुनवाई करते हुए तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक–01.09.2008 को आवेदक के पक्ष में भू–वापसी करते हुए दखल–देहानी का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण ने अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय में एस॰ए॰आर॰अपील वाद सं॰–146R15/2008-2009 दायर किये। उभय पक्ष को सुनने के बाद अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक–30.08.2010 के द्वारा Remand करते हुए पुनः सुनवाई हेतु आदेश दिए। तत्पश्चात वाद की पुनः सुनवाई आरंभ करते हुए विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदक लाधु उराँव, पिता–स्व० शनिचरवा उराँव, के मृत्यु पश्चात उनके उत्त्तराधिकारी एवं हस्तक्षेपी (1) प्रकाश उराँव, पिता–लाथू उराँव, (2) गुलशन उराँव, पिता–बिशु उराँव, (3) अमीत केरकेट्टा, पिता–सुकरा केरकेट्टा, (4) अनिल केरकेट्टा, पिता–सुकरा केरकेट्टा, (5) प्रदीप केरकेट्टा, पिता–बिशु उराँव,

A: 13/4/14

(6) अजय केरकेट्टा, पिता–सुकरा केरकेट्टा, सभी निवास ग्राम–तिरिल बस्ती, कोकर, थाना–सदर, जिला–राँची को प्रथम के रूप में दर्ज किया गया।

विपक्षीगण को वर्णित भूमि की नोटिस डाक के माध्यम से भेजी गयी है। विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए। पुनः नोटिस निर्गत किया गया किन्तु विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात प्रथम पक्षगण द्वारा वाद को एकपक्षीय सुनवाई हेतु अनुरोध किया गया, तथा आवेदन दिया गया। वाद की सुनवाई एकपक्षीय करने हेतु स्वीकृत किया गया। प्रथम पक्षगण की ओर से पूर्व में गवाही दी जा चुकी है। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

प्रथम पक्षगण के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी रैयत के नाम कायमी दर्ज है और प्रथम पक्षगण की अपनी खतियानी भूमि है। द्वितीय पक्षगण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। आदिवासी रैयत की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय हैं।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय पक्षगण आदिवासी रैयत की खतियानी कायमी जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का उल्लंघन कर नाजायज एवं गैरकानुनी रुप से दखलकार है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से द्वितीय पक्षगण (1) अफसर खाँ उर्फ बबलू, पिता–स्व॰ हाजी आबीद खाँ, रकबा–36 डिसमिल, (2) अफसर खाँ उर्फ अफसु, पिता–स्व॰ हाजी आबीद खाँ, रकबा–36 डिसमिल, कुल रकवा–72 डिसमिल पर अवैध रूप से दखलकार है को बेदखल करते हुए, प्रथम पक्षगण को जमीन वापस किया जाता है, तथा द्वितीय पक्षगण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

13/4/19

तदनुसार अंचल अधिकारी, बड़गाई को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार द्वितीय पक्षगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रथम पक्षगण सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

3/4/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

3/4/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक - 201(ii) दिनांक - 6.8.24

प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, बड़गाई, को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल-देहानी हेतु प्रेषित।

6/8/24

वि० वि० पदा०
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 13:35:33 +05:30
Location: 192.168.51.130